छोटी/रामभरोसी

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या :   /2017

बमुक0 छोटी बनाम रामभरोसी बगैरा

<u>प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट</u>

<u>16.8.2017</u> प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ। वकील सायलान उपस्थित । वकील सायलान को सुना । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 20.09.2017 को पेश हो । [signature]

20/9/17 वकील सायल उप0 गैरसायल रामवीर उपस्थित/ गैरसायल रामभरोसी पर जरिये रजिस्ट्री नोटिस तामील हो चुकी है/ अतः गैरसायल रामभरोसी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है/ वकील सायल तथा गैरसायल रामवीर को सुना/ पक्षकारों के मध्य यह निर्विवाद बिन्दु है कि विवादित आराजी रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है/ सायल का कहना है कि बिना बटवारा कराये गैरसायलान निर्माण कर रहे है जिन्हे रोका जावे। मुताबिक रिकार्ड विवादित आराजी में सभी पक्षकारों के हित निहित है/ अन्य बिन्दुओं पर निर्णय मूल दावा में साक्ष्य आने के उपरान्त ही किया जावेगा। पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी पर निर्माण किये जाने का विवाद है अतः अन्य कोई मुकदमेबाजी

जा सके, इसलिये दोनों पक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित मानता हूँ।

अतः उभयपक्ष को तारीख फैसला मूल वाद तक पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 रकबा 0.03 किता वाके ग्राम जोनकरा तहसील निवाई पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद की पत्रावली के साथ शामिल रहे।